न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1– नाथूसिंह पुत्र बालसिंह
1/1 चन्दकंवर पत्नी नाथूसिंह
1/2 राजूसिंह पुत्र नाथूसिंह
1/3 गोरधनसिंह पुत्र नाथूसिंह
1/4 छोटूसिंह पुत्र नाथूसिंह
1/5 मांगकंवर पुत्री नाथूसिंह
1/6 फमाकंवर पुत्री नाथूसिंह
2– धुड़सिंह पुत्र बालसिंह
3– दीपसिंह पुत्र बालसिंह
4– जसूसिंह पुत्र बालसिंह
जाति राजपूत सा. खोरण्डी

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमरसिंह पुत्र दयालसिंह राजपूत
1/1 जितेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह
1/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह
1/3 मोहनकंवर बेवा अमरसिंह
2. हणमान पुत्र सुखाराम मेघवंशी
2/1 सुवटीदेवी पत्नी हणमानराम
2/2 कानाराम पुत्र हणमानराम
2/3 किशनाराम पुत्र हणमानराम
2/4 शंकरलाल पुत्र हणमानराम
2/5 मूलचन्द पुत्र हणमानराम
2/6 रामलाल पुत्र हणमानराम
3. रामेश्वरलाल पुत्र सुखाराम मेघवंशी
4. मोहनराम पुत्र सुचाराम मेघवंशी
5. गोदूराम पुत्र भैरूराम मेघवंशी फौत
5/1 सुन्दरी पत्नी गोदूराम
5/2 बिड़दाराम पुत्र गोदूराम
6. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नांवा
7. पतासीदेवी पत्नी मागूराम बलाई
7/1 छिगनलाल पुत्र मांगूराम
7/2 धुडाराम पुत्र मांगूराम
8. बोदूराम पुत्र भैरूराम मेघवंशी
8/1 शंकरलाल पुत्र बोदूराम
8/2 पप्पूराम पुत्र बोदूराम
9. देवाराम पुत्र बालूराम मेघवंशी
10. मेघाराम पुत्र भीवाराम मेघवंशी
11. पेमाराम पुत्री भींवाराम मेघवंशी
निवासी खोरण्डी तह. नांवा
12. पूर्णराम पुत्र बालूराम मेघवंशी
सा. बामलिया तह. सुजानगढ़

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादीगण

श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी 2 से 4

मुकदमा नम्बर :– 33/1996

निर्णय दिनांक :– 27.02.2018

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम खोरण्डी के गत खसरा नम्बर 338, 349 मौके पर एक ही चक में स्थित हैं गत खसरा नम्बर 338 के नये खसरा नम्बर 614 रकबा 1.00 हैक्टयर, 615 रकबा 5.61 हैक्टयर तथा गत खसरा नम्बर 349 के नये खसरा नम्बर 658 रकबा 0.92 हैक्टयर, 661 रकबा 1.04 हैक्टयर , 662 रकबा 0.82 हैक्टयर, 663 रकबा 1.12 हैक्टयर एवं 666 रकबा 1. 74 हैक्टयर अंकित हुऐ हैं गत खसरा नम्बर 338, 339 में 47–05 बीघा भूमि वादीगण के पिता बालसिंह व 28–10 बीघा भूमि प्रतिवादी 1 के पिता की जागीर खुदकाश्त की भूमि रही हैं 47–05 बीघा भूमि पर आजीवन वादीगण के पिता व उनके बाद वादीगण बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज काष्त हैं वादीगण का कब्जा नये खसरा नम्बर 614, 615, 661 अकित हुऐ हैं तथा प्रतिवादी 1 के खाते में 28–10 बीघा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 658, 662, 663, 666 अंकित हुऐ हैं गत खसरा नम्बर 349/1 के नये भाग खसरा नम्बर 658 की भूमि पर प्रतिवादी 2, 3, 4 काबिज हैं तथा खसरा नम्बर 666 की भूमि पर प्रतिवादी गोदूराम काबिज हैं खसरा नम्बर 661 की सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण काबिज हैं खसरा नम्बर 662, 663 अन्य खातेदारो की खातेदारी में चली गई जिसका वादीगण को कोई सरोकार नहीं है, खसरा नम्बर 349 की भूमि कभी भी खसरा नम्बर 349/1 के शामिल नहीं रही हैं खसरा नम्बर 661 की भूमि को गत खसरा नम्बर 349 349/1 की मानी जावे तो उक्त खसरा का रकबा भी मौके पर 35 बीघा रहा जब कि खतौनी में सिर्फ 18–07 बीघा भूमि की अंकित हुआ हैं मौके पर काबिज प्रतिवादी 4 से 4 के पिता सुखाराम ने प्रतिवादी संख्या 5 व अन्य व्यक्ति जो इसी खसरा के भाग नेय खसरा नम्बर 662, 663 के खातेदारान ने अपने नाम अभिलिखित में दर्ज करा लिया क्योंकि प्रतिवादी 1 के पूर्वजो का मौके पर कोई कब्जा काश्त नही रहा था गत खसरा नम्बर 349/1 के भाग नये खसरा नम्बर 661 की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम नहीं हो सकी जिसकी जानकारी वादीगण के हाल ही में हुई है। उक्त भूमि वादीगण के पिता व वादीगण के कब्जे काश्त में रही हैं एडवर्डस पजेशन के आधार पर भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुंके है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 661 रकबा 1.04 हैक्टयर भूमि में वादीगण को बहिस्सा बराबर से काबिज खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 2 से 4 ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुऐ जवाब पेश किया हैं कि खसरा नम्बर 338, 349 एक चक में नहीं होकर अलग अलग जगह स्थित हैं उक्त खसरान की भूमि में वादीगण के पिता बालसिंह की 28-10 बीघा भूमि खुदकाश्त में नहीं रही हैं न ही कब्जे काश्त में रही हैं खसरा नम्बर 661 की भमि पुराने खसरा नम्बर 349/1मिन थे न कि 349 थे खसरा नम्बर 349/1 मिन के ही नये खसरा नम्बर 658, 666 बने हैं वादीगण ने पुराने खसरा नम्बर गलत अंकित कर झूठा वाद पेश किया हैं खसरा नम्बर 661,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

658, 666 की भूमि पर वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं मौके पर 661 की भूमि पर प्रतिवादी 2 से 4 का कब्जा काश्त हैं सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा रिकार्ड में कोई गलती नहीं की हैं बल्कि वादीगण की नियत में फितुर आ गया हैं तथा गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को नाजायद रूप से हड़ने की नियत से यह वाद पेश किया हैं उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा हैं शूरू से खातेदारी एवं कब्जा काश्त प्रतिवादी 2 से 4 के पिता सुखाराम व उनके बाद प्रतिवादी 2 से 4 का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही हैं जिससे वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी 7, 8 के वारिसान एवं प्रतिवादी 10, 11 ने इबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद का स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, तत्पश्चात पत्रावली में लगातार प्रतिवादी एवं वादी के स्वर्गवास होने से उनके कायम मुकामन को रिकार्ड पर लेने में नियत चली हैं तथा तलबी में विचाराधीन रही हैं प्रकरण लगभग 22 वर्ष से न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति एवं वादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं रिकार्ड में वादीगण स्वंय ने स्वीकार किया हैं कि खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं जिससे प्रकरण में तनकीयात कायम कर मौखिक साक्ष्य में नियत किया जाकर प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बा करने आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि वादीगण ने अपने वाद में सेटलमेन्ट के व्यक्तियों द्वारा भूलवंश खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करना बताया हैं जिससे उक्त प्रकरण रिकार्ड के आधार पर साबित होता हैं न की मौखिक साक्ष्य पर प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बे समय से लम्बित होने के कारण साक्ष्य नहीं ली जाकर बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद के पैरा संख्या 2 के अनुसार गत खसरा नम्बर 338, 349 में 47–05 बीघा भूमि वादी के पिता बालसिंह एवं 28–10 बीघा भूमि प्रतिवादी 1 के पिता की जागीर खुदकाश्त की भूमि रही होना बताया हैं तथा सेटलमेन्ट द्वारा गलती से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर कायम करते समय खसरा नम्बर 338 के भाग जिसके नये खसरा नम्बर 661 की भूमि को गत खसवरा नम्बर 349/1 की भूमि में शामिल करते हुए नये खसरा नम्बर 661 कायम करते हुऐ खातेदारी प्रतिवादी 2 से 4 के पूर्वजो के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि के वादीगण काबिज काश्तकार हैं। इस सम्बन्ध में वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं जिससे यह साबित होता हों कि खसरा नम्बर 661 की भूमि पर वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त व खातेदारी कभी दर्ज रिकार्ड रही हो, या जागीर के समय खुद काश्त में रही हो पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2054–2057 के अनुसार ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 99, 126, 614, 615, 697, 698 कुल रकबा 13.32 हैक्टयर भूमि नाथूसिंह, जालसिंह, धूडसिंह, दीपसिंह जससिंह पि. बालसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं

उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

जिसमें नामान्तकरण संख्या 191 के जरिये जालसिंह के स्थान पर नाथूसिंह, धुड़सिंह, दीपसिंह जसुसिंह पि. बालसिंह के खातेदारी दर्ज हुई हैं तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 216 के जरिये नाथूसिंह, जसूसिंह पि. बालसिंह के खसरा न्म्बर 99 रकबा 2.43 हैक्टयर के हिस्से में से 0.80 हैक्टयर भूमि कानसिंह पुत्र हरिसिंह 0.40 हैक्टयर अनोपसिंह बपुत्र भंवरिसिंह 0.40 हैक्टयर दर हिस्सा 0.80 हैक्टयर दर्ज रिकार्ड हुई हैं तथा खसरा न्म्बर 658, 661, 666 कुल रकबा 3.70 हैक्टयर भूमि हणनामराम , रामेश्वर, मोहनराम पि. सुरजाराम 0.66 हैक्टयर पतासी देवी पत्नी मांगूराम 0.96 हैक्टयर गोदूराम पुत्र भैरूराम 2.03 हैक्टयर जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार तथा 0.05 हैक्टयर भूमि अमरसिंह पुत्र दयालसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं वादीगण ने अपने वाद में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे साबित होता हो, कि वर्तमान खसरा नम्बर 661 गत किस खसरा नम्बर के बने हैं तथा इस भूमि के गत खसरा नम्बर की खातेदारी किस के नाम दर्ज रिकार्ड रही हैं केवल मात्र मौखिक रूप से उक्त भूमि सेटमेन्ट विभाग की गलती से प्रतिवादी 2 से 4 के नाम दर्ज हो जाना कहने मात्र से वादीगण को खातेदारी अधिकार नही दिऐ जा सकत हैं वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 7 में एडवर्डस पजेशन के आधार पर भी वादीगण खातेदार हो जाने का उल्लेख किया हैं लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं जिससे खसरा नम्बर 661 या इसके गत खसरा नम्बर पर कभी वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त साबित होता हो। जहां तक खसरा नम्बर 661 की खातेदारी की बात हैं तो खातेदारी प्रतिवादी 2 से 4 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा उक्त प्रतिवादी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत प्रतिबन्धित भूमि हैं जिसकी खातेदारी किसी भी प्रकार से स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं हो सकती हैं एडवर्डस पजेशन मान भी लिया जावे तो भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी समाप्त कर वादीगण जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। गत 22 वर्षो से प्रकरण विचाराधीन हैं जिसके बावजूद ऐसा एक भी दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा पेश नहीं किया हैं जिससे वर्तमान सेटमेन्ट से पूर्व वादीगण या वादीगण के पूर्वजो के नाम विवादित भूमि की खातेदारी दर्ज रही हो। जिससे वादीगण का वाद साबित नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)